

ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को मान्यता देने हेतु ग्राम पंचायत का प्रस्ताव

ग्रा0पं0- 11111111

वि0ख0- 11111111 जनपद- 111111

ग्राम पंचायत में दिनांक 08/06/2023 को ग्राम पंचायत की एक बैठक आयोजित किया गया जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया-

1- ग्राम पंचायत की एक बैठक ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया और उसमें निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में चयनित किया गया है-

क्रम	सदस्य का नाम	वर्गीकरण (गहिला / अनुज्जात / जगजति / वर्ग / गरीबी रेखा के नीचे / भूमिहीन)	पदनाम (अध्यक्ष / सचिव / कोषाध्यक्ष / सदस्य)	सम्पर्क सूत्र मोबाईल न0
1	सुधा साहनी	अनुज्जात	अध्यक्ष	9451721379
2	धर्मराज	" "	सचिव	9793113593
3	अनीता देवी	" "	कोषाध्यक्ष	7236917799
4	सुनीता देवी	" "	सामान्य सदस्य	9506825311
5	नेमका देवी	" "	सामान्य सदस्य	8401286921
6	दीना देवी	" "	सामान्य सदस्य	979557895
7	स-जू देवी	" "	सामान्य सदस्य	
8	सोना देवी	" "	सामान्य सदस्य	
9	सु-शेला देवी	" "	सामान्य सदस्य	
10	राधेश्याम	" "	सामान्य सदस्य	873904431
11	बबलू	" "	सामान्य सदस्य	84379512
12	दीपक कुमार	" "	सामान्य सदस्य	99609070
13	लक्ष्मी नाथ	" "	सामान्य सदस्य	99703196
14	रमेश कुमार	" "	सामान्य सदस्य	
15	पुलक-य-5	" "	सामान्य सदस्य	7309655

2- पेयजल एवं स्वच्छता योजनाओं के सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग / पंचायती राज विभाग / राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन / राज्य परियोजना प्रबन्धन ईकाई, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति एवं जिला प्रबन्धन स्तर पर समय-समय पर निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अप्रति करने की अनुमति दी गयी है।

3- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम हेतु धनराशि प्राप्त करने की अनुमति दी गई है जलापूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित योजनाओं को ग्राम पंचायत में क्रियान्वित कर सकें।

4- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अनुमति दी गई कि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता योजनाओं / सेवाओं हेतु रख-रखाव / उपयोग राशि निर्धारित करें एवं भुगतान प्राप्त करें और भुगतान प्राप्त की स्थिति में उचित कार्यवाही करें।

- 5- कार्यक्रम की धनराशि के प्रबंधन हेतु ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को बैंक में खाता खोलने एवं उसके संचालन की अनुमति प्रदान की गई।
- 6- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को योजना की रूपरेखा बनाने एवं उसे क्रियान्वित करने के स्तर पर नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार मुगलान करने एवं "Sign Off" हेतु अधिकृत किया गया। ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के अनुसार जलापूर्ति एवं स्वच्छता की योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु तकनीकी विकल्पों पर निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।
- 7- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित सेवाओं हेतु उपयुक्त अधिकारी एवं सेवा प्रदाता एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) एवं स्वीकृत पत्र (CONSENT) एवं अनुबन्ध पत्र (CONTRACT) हस्ताक्षरित करें।
- 8- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह नियमों अनुसार निर्णय सामग्री का उपार्जन कर उपलब्ध कराये तथा उस सामग्री की गुणवत्ता को सुनिश्चित करें।
- 9- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उसकी समस्त गतिविधियों को करने में पूर्ण सहयोग एवं अनुकूल वातावरण प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
- 10- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपमोक्षाओं की शिकायतों का समाधान करने के लिये भी अधिकृत किया गया। तथा जलापूर्ति एवं स्वच्छता की सेवाओं के प्रबन्ध हेतु तैयार की गयी प्रणाली एवं सम्पत्ति का निरीक्षण में सहयोग प्रदान करें।
- 11- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह बहु-ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता समिति तथा बहु-ग्रामीण योजनाओं से सम्बन्धित अन्तर ग्राम सुविधाओं (यदि लागू हो तो) सामान्य सुविधाओं के संचालन प्रबन्धन एवं अधिकांश जलापूर्ति हेतु संयोजन करें।

ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति के उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर:-

क्रम	सदस्य का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर या नि० अगुठों
1	सुधा साहनी	अध्यक्ष	सुधा साहनी
2	जयराज	सचिव	
3	अनीसा देवी	कोषाध्यक्ष	अनीसा
4	सुनीता देवी	सामान्य सदस्य	सुनीता
5	निर्मला देवी	सामान्य सदस्य	निर्मला देवी
6	दीना देवी	सामान्य सदस्य	दीना देवी
7	सखी देवी	सामान्य सदस्य	सखी देवी
8	सीता देवी	सामान्य सदस्य	सीता देवी
9	सुनीता	सामान्य सदस्य	सुनीता
10	राधाश्याम	सामान्य सदस्य	राधाश्याम
11	कमल	सामान्य सदस्य	कमल
12	दीपक श्याम	सामान्य सदस्य	दीपक
13	लक्ष्मी-नारायण	सामान्य सदस्य	लक्ष्मी-नारायण
14	रमेश देवा	सामान्य सदस्य	रमेश
15	फूलचन्द	सामान्य सदस्य	फूलचन्द